

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- रास्था/विअ/एटी/प01/11/81

दिनांक : 28/06/2011

आदेश :-

निर्देशानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से वर्ष 2011 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित होने के फलस्वरूप निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 12 दिनांक 14.03.11 के द्वारा चिकित्सकों को नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन किया गया। नियुक्ति के शर्तों के अनुसार आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर-2 नव नियुक्ति पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य है। निम्नलिखित चिकित्सकों ने उनके नाम के सामने अंकित कारणों से कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि हेतु निवेदन किया है को उनके नाम के सामने अंकित वांछित दिनांक तक एतद्वारा अभिवृद्धि प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	भेरिट संख्या	पदस्थापन स्थान	अभिवृद्धि का कारण	कार्यग्रहण अवधि में वांछित वृद्धि की दिनांक
1.	डा० अशोक कुमार जांगिड	738	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आकोदरा (राजसमन्द)	पारिवारिक परिस्थितियों के कारण	दिनांक 30/06/11 तक
2.	डा० मनीषा	1105	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिठडाउ (बाडमेर)	नये पदस्थापन में संशोधित आदेश आने तक	दिनांक 30/06/11 तक

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त जारी किये जाते हैं।

निदेशक (जन सेवा)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, (ग्रुप-2) राजस्थान जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित।
6. संबंधित चिकित्सक को घर के पते पर रभीड पोस्ट द्वारा।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करें।
8. निजी/आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन सेवा)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।